

27/05/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अपनी प्रतिवादीगण के सम्मन पेश लेकर करने में पर्याप्त उत्तर दिए बावजूद पेश नहीं किए। अतः वादी का वाद Non Complain (अपालना) में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैंसल शुमार होकर दायित्व दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) जीहटा

